## न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील डिक्री/टी.ए./2004/4473/जोधपुर**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर

**......अपीलान्ट**

**बनाम**

1- बुदाराम पुत्र मगनाराम राईका
2- हरीराम पुत्र मगनाराम राईका
3- मगनाराम पुत्र सरदाराराम राईका
निवासीगण लोरडी देजगरा तहसील व जिला जोधपुर।

**......रेस्पोडेन्टस**

**खण्ड-पीठ**
**श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य**
**श्री गणेश कुमार, सदस्य**

**उपस्थित :-**
श्री ओ.पी. भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

**दिनांक : 12 अगस्त, 2021**

**निर्णय**

1- उपर्युक्त द्वितीय अपील धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 7-8-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलान्टस ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या-118 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या-124 रकबा 3 बीघा वाके मौजा लोरडी देजगरा के संबंध में प्रस्तुत किया। प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार

की ओर से उक्त वाद का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा साक्ष्य सुनवाई के बाद उक्त वाद जरिये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16-3-2004 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय व डिक्री दिनांक 7-8-2004 द्वारा स्वीकार की गयी। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

4- विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने प्रथम अपील को निर्णीत करते समय विचारण न्यायालय के राजस्व वाद संख्या-68/2002 बुदाराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 16-3-2004 को बिना किसी ठोस वजह एवं माकूल कारण के बदल दिया एवं वादी की अपील डिक्री करते हुये राजकीय भूमि में उसे खातेदार घोषित कर दिया जो निर्णय व डिक्री कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने वाद बिन्दु संख्या-1 को बिना किसी कारण के वादी के पक्ष में निर्णीत कर दिया, जबकि वादी किसी भी शहादत से यह वाद बिन्दु साबित नहीं कर सका था एवं ना कानूनन इस वाद बिन्दु को वादी के पक्ष में निर्णीत किया जा सकता था। अपीलीय न्यायालय का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान की मंशा के बिल्कुल विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय महज क्यासी दलीलों पर आधारित होने से निरस्त करने योग्य है एवं निर्णय को देखने मात्र से स्पष्ट है कि यह निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों की मूल भावना को नजर अंदाज करते हुये पारित किया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाये तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7-8-2004 निरस्त किये जावे एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर का निर्णय यथावत रखने का निवेदन किया।

5- अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि आक्षेपित निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से पोषणीय है तथा इस अपील में कोई सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं

किये हैं। अतः यह अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अप्रार्थीगण / वादीगण ने एक वाद संख्या-121/1999 न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) जोधपुर में प्रस्तुत किया जो जिला कलेक्टर, जोधपुर के आदेश दिनांक 5-9-2001 की पालना में दिनांक 14-2-2002 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर में दर्ज करने के आदेश हुये, जिस पर वाद संख्या-68/2002 दर्ज हुआ। इस वाद में वादीगण ने कथन किया कि ग्राम लोरड़ी देजगरा की आराजी खसरा संख्या-118 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर-124 रकबा 3 बीघा पर जागीर से कब्जा काश्त वादीगण के दादा से चली आ रही है। दस्तावेजों में उन्होंने खसरा गिरदावरी संवत 2010 से एवं खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है लेकिन कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है।

8- खसरा गिरदावरी ''रिकार्ड ऑफ राईट'' की श्रेणी में नहीं आती है। खसरा गिरदावरी का कार्य केवल फसल की जिंस बताना है, कब्जा बताना नहीं। इसलिये खसरा गिरदावरी को कब्जे का सबूत नहीं माना जा सकता है।

9- वादीगण / अप्रार्थीगण का कथन है कि भूमि जागीर के समय से ही उनके कब्जे में चली आ रही है। उनके कथनानुसार भूमि जागीर की थी। यदि भूमि जागीर की थी तो फिर खातेदारी जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत प्रदान की जानी चाहिये जिसमें भूमि जागीर या माफी के रूप में दर्ज होनी चाहिये और काश्तकार के रूप में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होना चाहिये? लेकिन अप्रार्थीगण ने कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की और जो खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत की है उनमें भूमि जागीर की होने का कोई उल्लेख नहीं है। इस आधार पर उक्त भूमि को जागीर की भूमि नहीं माना जा सकता है।

10- विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 7-8-2004 में ''गैर बापीदार'' को कृषक की परिभाषा में सम्मिलित किया है और उन्हें कृषक मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हैं जो कि विधि के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2013 में आराजी खसरा नम्बर-118 रकबा 52 बीघा 18 बिस्वा व 124 रकबा 49 बीघा का था जिसकी किस्म गैर मुमकिन बारानी-2 दर्ज थी। प्रथम बात तो यह है कि जब आराजी खसरा नम्बर-118 एक बड़ा खसरा था जिसका रकबा 52 बीघा 18 बिस्वा था। जिसमें अप्रार्थीगण का कथन है कि उनका कब्जा केवल 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर था, ना कि सम्पूर्ण रकबे पर। यह 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिस पर उनका कब्जा बताया गया है, वह कौनसा था? इसका वाद पत्र एवं अपील में कहीं कोई अंकन नहीं है। उसकी चारों दिशाओं में कौन कौन व्यक्ति काश्त कर रहे हैं इसका भी कोई अंकन नहीं है। जबकि खसरा गिरदावरी संवत 2010-2013 के अनुसार इस खसरा नम्बर पर गंगिया बेटो हीरा को राईको, सरदारो बेटो लच्छो, मूल्यो बेटो सरदारो, राणो बेटो उम्मेदो, मु. नैनी बेवा जोगा का नाम अंकित है। अर्थात ये सब व्यक्ति भी उसी खसरा में काश्त कर रहे बताये हैं। जब किसी खसरा नम्बर पर बहुत सारे व्यक्ति काश्तकार के रूप में बताये जाते हैं तो उन्हें भी वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिये जिससे कब्जे की स्थिति की सही जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये अप्रार्थीगण का कब्जा कहां पर था इसकी सही जानकारी नहीं मिल सकती है। यही स्थिति खसरा नम्बर-124 की भी है। उस पर भी कई व्यक्तियों का नाम खसरा गिरदावरी में अंकित है।

11- खसरा परिवर्तनशील संवत 2033 में खसरा नम्बर-118 पर भोपाल पुत्र सरदार का नाम अंकित है। इस प्रकार खसरा नम्बर-124 में भी खसरा परिवर्तनशील संवत 2035 में भोपाला, मगना पिसरान सरदारा का नाम अंकित है। इससे यह जाहिर होता है कि सरदारा के दो पुत्र थे एक भोपाला व दूसरा मगना। वाद पत्र में केवल मगना व उसके पुत्रों के नाम वादीगण के रूप में दर्ज हैं जबकि भोपाला भी इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था। उसका पूरे वाद पत्र में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। क्या वह ''लावल्द विला औरत'' फौत हो गया है या उसके कोई उत्तराधिकारी अभी मौजूद हैं? इस तथ्य का कोई अंकन वाद पत्र, अपील में नहीं होने के कारण दावा तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया है और आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना ही प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य है।

12- विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि खातेदारी अधिकार केवल ''रिकार्ड ऑफ राईट'' यानि जमाबन्दी में संवत 2012 में हुई प्रविष्टियों के आधार पर ही दिये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5(43) में ''टीनेन्ट'' की परिभाषा दी गई है, जो निम्न है :-

(1) The definition of term tenant may be divided in to three parts, In part (1) of the definition it gives the meaning of the term which is exhaustive. Therefore there are two main characteristics of a person to be a tenant within the meaning of this Act viz :-

**(i) The person by whom the rent is, or would be, payable.**
**(ii) This payment is based on a contract, whether it is express or implied.**

इस प्रकार टीनेन्ट घोषित होने के लिये अप्रार्थीगण को निम्न दो शर्ते पूरी करनी चाहिये थी :-

1- भूमि का लगान उसके द्वारा चुकाया गया था।
2- इस लगान को चुकाने के लिये उसके द्वारा कोई अनुबन्ध होना चाहिये।

इस प्रकरण में संवत 2012 से लगातार भूमि का लगान चुकाने के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और ना ही कोई अनुबन्ध की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकें। केवल खसरा गिरदावरी में नाम लिख देने से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ''अतिक्रमी'' की श्रेणी में आता है और ऐसे अतिक्रमी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है।

13- जहां तक ''गैर बापीदार'' शब्द का अंकन है तो इसका अर्थ होता है ''शिकमी'' काश्तकार। एक व्यक्ति को शिकमी काश्तकार भी तभी माना जायेगा, जब संवत 2012 की जमाबन्दी में उसका नाम शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज होगा। इस प्रकरण में अप्रार्थीगण / वादीगण ने कोई भी जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। इसलिये उन्हें शिकमी काश्तकार मानकर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-19 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने अपील स्वीकार कर अप्रार्थीगण को खातेदार घोषित

करने में त्रुटि की है इसलिये उनका निर्णय व डिक्री दिनांक 7–8–2004 निरस्त किये जाने योग्य है।

14– उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के उपरान्त यह अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 7–8–2004 निरस्त किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 16–3–2004 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( गणेश कुमार )**
**सदस्य**

**( हरि शंकर गोयल )**
**सदस्य**